



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(अस्थाई कार्यालय : महिला छात्रावास भवन, बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय परिसर, अलवर)

Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website : www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक :- राष्ट्रभमवि/अल/वित्त एवं लेखा /2019/

दिनांक :-02.02.2019

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की नीलामी सूचना

नीलामी सूचना संख्या.01/2018-19

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर की वर्ष 2016 & 2017 की विभिन्न परीक्षाओं के उपयोग में ली गयी उत्तर पुस्तिकाओं की लगभग 85 टन (रद्दी तौल के अनुसार) वार्षिक ठेके/बिक्री हेतु रद्दी की व्यवसाय करने वाली मिलों/फर्मों/ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र sppp.rajasthan.gov.in तथा www.rrbmuniv.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदाएं कार्यालय में दिनांक 25.02.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। जो कि दिनांक 25.02.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदादाता/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी सम्पूर्ण जानकारी कार्यालय एवं वेबसाईड से प्राप्त की जा सकती है।

कुलसचिव

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

अमानत राशि रू. 24000 डी डी निविदा प्रपत्र का मूल्य 200/- रुपये निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि 25.02.2019 2.00 बजे तक तथा निविदा खोले जाने की तिथि 25.02.2019 अपरान्ह 3.00 बजे

निविदा प्रपत्र

कुलसचिव,
राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय,
अलवर

विषय:— वर्ष 2017 एवं पूर्व की प्रयुक्त उत्तर-पुस्तिकाओं की रद्दी की विक्री हेतु निविदा।

1. निविदादाता फर्म का पूरा नाम एवं डाक का पता
2. दूरभाष नम्बर कार्यालय/दुकाननिवास.....
3. अधिकृत व्यक्ति का नामजिनसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके। मो0न0
4. अमानत राशि रू0 24000 नकद रसीद/बैंक ड्राफ्ट सं.दिनांकद्वारा जमा करा दी गई है।
5. दरें स्वीकृत किये जाने की स्थिति में आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस के भीतर उत्तर पुस्तिकाएँ उठा ली जाएगी।
6. निविदा सूचना सं.दिनांकको प्रकाशित हुई है में एवं इस निविदा से संबंधित निविदा प्रपत्र एवं निविदा व संविदा की समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं, जिके प्रमाण स्वरूप निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर
मय मोहर

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, पैकिंग,मैटेरियल एवं झाडन की रद्दी के निस्तारण हेतु निविदा

अध्याय-1

विड आमंत्रण

1. इस विश्व विद्यालय के प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं के निस्तारण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।
2. निविदा विहित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।
3. निविदा सूचना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में जारी करने के साथ राजस्थान सरकार की अधिकृत वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in पर प्रकाशित कर दी है।
4. निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाईटों पद उपलब्ध है जो कि इच्छुक फर्मों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।
5. बोलीदाता से अपेक्षित है कि वह निविदा जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र की भली भाँति अध्ययन कर ले तथा विश्वविद्यालय के परिसर का निरीक्षण कर ले। इस संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव या परीक्षा नियंत्रक से सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विश्वविद्यालय किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है।
6. बोलीदाता, पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा प्रपत्र को मय समस्त वांछित प्रपत्रों/संलग्नकों के, निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय में, निविदा सूचना में अंकित स्थान पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पास जमा करवाना सुनिश्चित करवायेगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. बोलीदाता द्वारा निविदा के साथ अथवा उससे पूर्व निविदा शुल्क एवं अमानत धन राशि विहित रूप में जमा करानी अनिवार्य है जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी। तथापि, यदि बोलीदाता किसी प्रकार की नियमानुसार छूट चाहता है तो उसे निविदा में उसका उल्लेख करते हुये संबंधित प्रपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए अन्यथा उक्त निविदा को छूट के योग्य नहीं समझा जायेगा।
8. विभाग द्वारा समय पर प्राप्त निविदाओं को, निविदा सूचना में दर्शाये गये समय एवं दिनांक को विभागीय उपापन समिति तथा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
9. बोलीदाता द्वारा निविदा निर्धारित प्रारूप मय अनुलग्नकों के तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर प्रस्तुत करेगा।
10. विभाग को किसी भी निविदा को, पूर्ण अथवा भाग को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के बोलीदाताओं से कोई विचार-विमर्श नहीं किया जायेगा।
11. निविदा प्रपत्र में बतायी गई शर्तों के अतिरिक्त बोलीदाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।

कुलसचिव

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

हस्ताक्षर निविदादाता

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

अध्याय-2

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, पैकिंग, मैटेरियल एवं झाडन की रद्दी की निविदा शर्तें प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी की बिक्री के लिए मुहरबंद निविदाएं इस कार्यालय में दिनांक 25.02.2019 को उपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दिनांक 25.02.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

रद्दी का विवरण :-

“अ” उत्तर पुस्तिकाओं की कवर पेज एवं संलग्न (न्यू टाईप) प्रश्न पत्र सहित साबुत (पैकिंग काट कर निकाली जायेगी) रद्दी।

“ब” उत्तर -पुस्तिकाओं के काम में लिया गया पैकिंग मैटेरियल (यथा-टाट, सूतली, रैगजीन बैग्स, कपड़े, कागाज के टुकड़े आदि)

“स” झाडन की रद्दी(कागज, अखबार, परीक्षा आवेदन पत्र, बुकलेटस आदि सहित) का वार्षिक ठेका।
निविदा शर्तें :-

1. निविदाओं के साथ उत्तर-पुस्तिकाओं की रद्दी के लिए अमानत राशि 24000/- (चौबीस हजार रु. मात्र), राशि का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के नाम जमा कराना आवश्यक है। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उत्तर-पुस्तिकाओं की रद्दी के लिए स्वीकृत निविदाकार की दरें अनुमोदित होने के बाद लिखित सूचना मिलने के तीन दिन में रु0 96000/- (छियानवें हजार रु0 मात्र) कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। उक्त राशि तीन दिन के अन्दर जमा नहीं होने पर क.सं. (1) में जमा अमानत राशि रु0 24000/- जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी पृथक से सूचना/जानकारी देना आवश्यक नहीं होगा।
2. स्वीकृत निविदाकारों के पत्र प्राप्ति के 3 दिन में उत्तरपुस्तिकाओं के लिए 100/- रु0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. उत्तरपुस्तिकाओं की रद्दी के स्वीकृत फर्मों को आदेश प्राप्ति के 10 दिन में रद्दी उठाना अनिवार्य है अन्यथा अमानत व कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. रद्दी की श्रेणी/नमूना संबंधित परीक्षा अनुभाग में किसी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।
5. उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी पैकेट काटने, निकालने, भरने का कार्य ठेकेदार स्वयं के मजदूरों से कराएगा, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा, तथा बारदाना स्वयं लेकर आयेगा। बारदाना में रद्दी भरने से पूर्व क्रय समिति के समक्ष कटिंग करवानी होगी।
6. स्वीकृत निविदाकार के द्वारा रद्दी खुली नहीं भरी जायेगी इस हेतु बोरों का प्रयोग किया जायेगा। जिसका बजन निम्नानुसार कम किया जायेगा।
अ) जूट/टाट के फल साईज के बोरों में रद्दी भरे जाने पर एक किलो प्रति बोरे का वजन एक किलों कम किया जायेगा।
ब) छोटे जूट के बोरे का आधा किलों एवं प्लास्टिक बैंक रद्दी भरे जाने पर प्रति बोरे का दौ सौ ग्राम बजन कम किया जायेगा।
7. निविदाताओं द्वारा वाहन में मिक्स बोरे नहीं भरे जायेंगे।
8. ट्रैलर व खुले वाहन लाना वर्जित होगा।
9. वाहन में भरी रद्दी प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक ही तौली जायेगी तथा इसके पूर्व एवं पश्चात् रद्दी तौलना संभव नहीं होगा।
10. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि का समायोजन बिक्री के अंतिम दौर में कर लिया जाएगा। धरोहर राशि शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही लौटाई जायेगी।
11. रद्दी उठाने के लिये ट्रक/वाहन विश्वविद्यालय में प्रातः 10.00 बजे के पश्चात् लाना होगा।
12. स्वीकृत निविदाकार को रद्दी का तौल विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त तौल समिति के सदस्यों की उपस्थित में निर्देशानुसार धर्म कौंटे पर करवाना होगा। आवश्यकता होने पर तौल अन्य कौंटों पर भी करवाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अधिक तौल/बजन वाला कौंटा ही मान्य होगा, तथा प्रत्येक बार तौल के आधार पर कुल राशि जीएसटी कर सहित उसी दिन रद्दी उठाने से पूर्व कार्यालय में जमा करानी होगी।
13. संबंधित/स्वीकृत फर्म को लिखित आदेश मिलने के 10 दिन की अवधि में सम्पूर्ण रद्दी उठानी होगी, अन्यथा विलम्ब से उठाई गई रद्दी पर निम्न दर से जुर्माना राशि वसूल की जायेगी। :-

- अ. प्रथम 3 दिवस तक के लिए 2.5 प्रतिशत
 ब. 4 से 5 दिवस तक के लिए 5 प्रतिशत
 स. 6 से 8 दिवस तक के लिए 7.5 प्रतिशत
 द. अगले 9 दिवस से 10 आगामी दिवसों तक 10 प्रतिशत
14. धरोहर राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूमि राशि निम्न परिस्थितियों में जब्त की जाएगी एवं वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है :-
 अ. जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया जाता हो।
 ब. निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण रद्दी निर्धारित अवधि में नहीं उठाने पर।
 स. प्रदान की गई रद्दी पूरी मात्रा में नहीं उठाने पर।
 द. निर्देशानुसार समय-समय पर माल नहीं उठाने, तौल में अधिक अंतर एवं अनुचित विवाद की स्थिति में।
 द. कोई भी फर्म एक वस्तु के लिए एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नहीं करेगी जिस नाम से निविदा क्रय करेगी उसके लिये ही अधिकृत होगी एवं जिस फर्म की निविदा स्वीकृत होगी माल उसी फर्म का उठाना होगा अन्य किसी व्यक्ति/फर्म को सबलैट/बैचा नहीं जा सकता।
15. ठेकेदार को उत्तरपुस्तिकाओं की रद्दी राजस्थान प्रान्त से बाहर बेचनी होगी, इसका शपथ पत्र लिखित में रू0 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना होगा तथा जहां माल बेचा जाएगा वहाँ का विवरण प्रस्तुत करने पर ही धरोहर राशि लौटाई जायेगी।
16. कार्यालय/संबंधित अधिकारी द्वारा बुलाने पर ठेकेदार को कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा तथा आवश्यक/उचित सलाह की पालना करनी होगी।
17. यदि कुलसचिव निविदाकारों की दरों से संतुष्ट नहीं हो तो उन्हें किसी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
18. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र अलवर होगा।
19. निविदाताओं द्वारा जीएसटी कर पंजीयन (टिन नं.) एवं पैन (PAN) नं. देना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
20. निविदा जमा एवं खोलने के दिन अवकाश या कार्यालय बन्द होने की स्थिति में उक्त कार्य अगले कार्य दिवस में होंगे।
- मुझे कम संख्या 1 से 20 तक की समस्त शर्तें स्वीकार हैं, तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी बातें सत्य हैं। यदि असत्य पाई जाती है तो इसे निरस्त करने तथा जमा अमानत व सिक्युरिटी मनी जब्त करने का राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार देता हूँ।

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम.....
 फार्म का नाम
 पता

 दूरभाष नं.
 टिन नं.
 पैन नं.

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

अध्याय-3

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, पैकिंग,मैटेरियल एवं झाडन की रद्दी के निस्तारण हेतु निविदा

पात्रता के मानदण्ड (Eligibility Criteria)

1. कम्पनी/एजेन्सी/फर्म के निदेशकों/कम्पनी सचिव/प्रोपराईटर्स/साझेदारों/मालिक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा निविदा भरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति को निविदा भरने हेतु निदेशकों/कम्पनी सचिव/प्रोपराईटर्स/साझेदारों/मालिक द्वारा अधिकृत किया जाने वाले दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो कम्पनी/एजेन्सी/फर्म के निदेशकों/कम्पनी सचिव/प्रोपराईटर्स/साझेदारों/मालिक फर्म के निदेशको/कम्पनी सचिव प्रोपराईटर्स/साझेदारों/मालिक द्वारा सत्यापित होनी चाहिये।
2. कार्यानुभव-ठेकेदारों/बोलीदाताओं को रद्दी उठाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। (Annexure-I में संलग्न करना होगा)
3. कम्पनी/एजेन्सी/फर्म का प्रारूप :- बोलीदाता/एजेन्सी/फर्म का पिछले दो वर्षों में प्रति वर्ष राशि न्यूनतम रूपये 25.00 लाख का टर्नओवर रहा हो का स्वप्रमाणित विवरण पत्र संलग्न करावें।
4. निविदा मूल्य :- बोलीदाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित निविदा मूल्य आवश्यक रूप से जमा करवाया जाना है जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी। तथापि कोई बोलीदाता निविदा शर्तों के अनुरूप निविदा मूल्य में छूट पाना चाहता है तो उसे निविदा में इसका उल्लेख करते हुये समस्त आवश्यक प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करने होंगे जिनके बिना उसे छूट का पात्र नहीं समझा जायेगा।
5. बोली प्रतिभूमि (अर्नेस्ट मनी) :- ठेकेदारों/बोलीदाताओं को बोली अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) जिसका विवरण सुरक्षित धन राशि संबंधित अध्याय में दिया गया है के अनुसार आवश्यक रूप से निविदा जमा करवाने के समय जमा करवानी है। बोली अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) राशि के अभाव में निविदा निरस्त समझी जावेगी। तथापि कोई बोलीदाता निविदा शर्तों के अनुरूप सुरक्षित धन राशि में छूट पाना चाहता है तो उसे निविदा में इसका उल्लेख करते हुये समस्त आवश्यक प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करने होंगे जिनके बिना उसे छूट का पात्र नहीं समझा जायेगा।
6. बोलीदाता अपने लेटर पेड पर निर्धारित प्रारूप (Annexure-2) में Undertaking प्रदान करेगा जिसमें वह स्पष्ट रूप से निविदा के साथ लगाये गये प्रपत्रों/दस्तावेजों के सत्य होने का उल्लेख करेगा।
7. बोलीदाता अपने लेटर पेड पर निर्धारित प्रारूप (Annexure-2) में Undertaking प्रदान करेगा जिसमें वह प्रमाणित करेगा कि बोलीदाता कम्पनी/एजेन्सी/फर्म/केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकार उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं किया गया है।
8. बोलीदाता अपने लेटर पेड पर निर्धारित प्रारूप (Annexure-3) में बोना फाईड डीलर का प्रमाण पत्र संलग्न करेगा।
9. आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
10. जीएसटी प्रमाण पत्र संलग्न है। लागू नहीं होने की स्थिति में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
11. कम्पनी/फर्म की स्थिति में सक्षम सत्ता का पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना है।

हस्ताक्षर निविदादाता

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

अध्याय-4

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, पैकिंग,मैटेरियल एवं झाडन की रद्दी के निस्तारण हेतु निविदा

निविदा अमानत राशि (Bid Security)

बोलीदाता द्वारा निविदा के साथ निविदा अमानत राशि निम्न शर्तों के अन्तर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित है :-

1. ठेकेदार/बोलीदाता द्वारा निविदा के अभिलिखित किये अनुमानित मूल्य का **2 प्रतिशत** अमानत निविदा के साथ जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। बिना निविदा अमानत के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. निविदा अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में कुलसचिव, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर को देय स्वीकार की जाएगी।
3. असफल बोलीदाताओं की निविदा अमानत का प्रतिदाय सफल निविदा की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन अमानत प्रस्तुत करने पश्चात् शीघ्र कर दिया जायेगा।
4. सफल बोलीदाता की निविदा अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) को कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Security Deposit) में समायोजन की जाएगी तथा शेष कार्य सम्पादन प्रतिभूमि राशि (Security Deposit), करार के निष्पादन के समय ली जाएगी। यदि सफल बोलीदाता द्वारा पृथक से पूर्ण प्रतिभूमि राशि जमा करा दी गयी है तो जमा कराई निविदा अमानत लौटा दी जावेगी।
5. निविदा अमानत (अर्नेस्ट मनी) का समपहरण (Fourfietrue of Earnest Money) :-
निम्न लिखित मामलों में निविदा अमानत राशि को **समपहृत** कर लिया जाएगा।
 - जब बोलीदाता निविदा को खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार किये जाने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
 - यदि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार, का निष्पादन नहीं करता है।
 - जब वह विहित समय में कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
 - जब बोलीदाता बोली स्वीकृति आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन अमानत जमा नहीं कराता है।
6. जमा कराई गई निविदा अमानत राशि को समपहृत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुये बोलीदाता को नोटिस दिया जाएगा।

हस्ताक्षर एवं सील निविदादाता

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, पैकिंग,मैटेरियल एवं झाडन की रद्दी के निस्तारण हेतु निविदा
निविदा की विधि

निविदा की विधि निम्नानुसार है।

1. निविदा टाईप की हुई या पैन से भरी होनी चाहिये।
2. बोलीदाताओं द्वारा निविदा बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी जिसके उपर निविदा संख्या, निविदा का विषय स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। इसके साथ बोलीदाता कम्पनी/एजेन्सी/फर्म का नाम भी स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिये।
3. निविदा के साथ निविदा-शर्तों की स्वीकार्यता के रूप में निविदा की प्रति, समस्त सामान्य एवं तकनीकी जानकारी, निविदा मूल्य, बोली प्रतिभूमि, प्रमाण पत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियाँ इत्यादि संलग्न की जानी चाहिए।
4. निविदा में केवल निविदा प्रपत्र (अध्याय-8 के अनुसार) होना चाहिए।
5. वित्तीय निविदा का प्रत्येक पृष्ठ बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित तथा कम्पनी/एजेन्सी/फर्म की मोहर लगा होना चाहिये।
6. निविदा एवं संलग्न प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी (English) भाषा में होना चाहिये।
7. बोलीदाता निविदा प्राप्त करने, भरने, विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने तथा स्पष्टीकरण यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के दौरान होने वाले समस्त खर्च स्वयं वहन करेगा। इस हेतु विभाग द्वारा कोई भी राशि देय नहीं होगी।
8. बोलीदाता से यह अपेक्षित है कि उसे कार्य की साईट, निविदा की शर्तों एवं अन्य समस्त स्थानीय कानूनों एवं परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होगा। ऐसा न होने पर होने वाले नुकसान और/अथवा अन्य प्रभाव के लिये बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
9. निविदा, प्रस्तुत किये जाने की आखिरी दिनांक के पश्चात् 90 दिवस तक वैद्य होगी।
10. प्रकाशित निविदा में निविदा प्रस्तुत किये जाने के अंतिम दिनांक, समय के पश्चात् प्राप्त निविदा विलम्बित मानी जायेगी तथा उनको खोले बिना संबंधित फर्मों को लोटा दिया जायेगा।
11. विश्वविद्यालय द्वारा निविदा को उपापन समिति एवं बोलीदाता कम्पनी/एजेन्सी/फर्म के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष प्रकाशित निविदा में इंगित निविदा खोले जाने के दिनांक एवं समय पर खोला जायेगा। निविदा का मूल्यांकन उपापन समिति द्वारा किया जायेगा। जिसमें ऐसी निविदा जो सम्पूर्ण हो तथा अध्याय 3 में वर्णित तकनीकी अर्हताएं पूरी करी हो को स्वीकृत निविदा घोषित कर दिया जायेगा।
12. वित्तीय निविदा को उपापन समिति तत्संबंधित बोलीदाता कम्पनी/एजेन्सी/फर्म के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा।
13. प्राप्त दरों के आधार पर अधिकतम दर बोलीदाता को कार्यादेश दिया जावेगा बोलीदाता द्वारा कार्यादेश को स्वीकार करने के साथ विभाग में कार्य सम्पादन प्रतिभूमि राशि जमा करवाते हुये सत्संबंधित समय पर प्रचलित कानून/नियमों के अनुसार राशि को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूमि तय सीमा में प्रस्तुत करनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

अध्याय-6

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, पैकिंग, मैटेरियल एवं झाडन की रद्दी के निस्तारण हेतु निविदा

अपात्रता

बोली निम्न कारणों से अपात्र घोषित की जा सकती है। :-

1. निविदा सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त हुई निविदा।
2. बिना निविदा मूल्य एवं निविदा अमानत (Earnest Money) के जमा निविदा। यदि इनमें छूट चाही गई है तो इसके लिये पात्रता साबित करने के लिये आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रतियों के बिना प्राप्त निविदा।
3. विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना/तय समय से देरी से प्रदान करना।
4. एक से ज्यादा निविदा प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी निविदा निरस्त की जा सकेगी।
5. अपूर्ण व सशर्त निविदा प्रस्तुत करना।
6. तकनीकी अर्हताओं का पूर्ण न कर पाना।
7. बोलीदाता अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना/डलवाना विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।
8. अल्प वैद्यता वाली निविदा प्रस्तुत करना।

हस्ताक्षर निविदादाता

अध्याय-7

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, पैकिंग, मैटेरियल एवं झाडन की रद्दी के निस्तारण हेतु निविदा

कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security)

कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) निम्नानुसार होगी :-

1. कार्य सम्पादन प्रतिभूति सफल बोलीदाताओं द्वारा कार्य आदेश की राशि का 05 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति आदेश की दिनांक 03 दिवस में जमा करानी होगी।
2. कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक का ड्राफ्ट या बैंकर चैक किसी एक रूप से दी जायेगी।
3. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Performance Security) :-
निम्नलिखित मामलों में प्रतिभूति राशि का समपहृत कर लिया जाएगा :-
 - जब संविदा में किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लघन किया गया हो।
 - जब बोलीदाता कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो।
 - जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुये बोलीदाता को नोटिस दिया जाएगा।
 - बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप की समपहृत की गई राशि संबंधित विभाग के शेष अन्य प्राप्तियों में जमा करायी जाएगी तथा अन्तरण प्रविष्टि की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय :- अनुबंध की अवधि समाप्त होने के 02 माह पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप बोलीदाता को लौटा दिया जावेगा। प्रतिभूति राशि, अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
5. बोलीदाता से वसूली की जाने योग्य राशि की वसूली उसको देय बिल में से की जायेगी। राशि अधिक होने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से भी की जा सकेगी।
6. बोलीदाता से वसूल की जाने योग्य राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से अधिक होने पर मांग पत्र जारी करने पर नगद इस कार्यालय में जमा करानी होगी। इस मांग पत्र पर जमा नहीं कराने पर पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूली की जा सकेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

अध्याय-8

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, पैकिंग, मैटेरियल एवं झाडन की रद्दी के निस्तारण हेतु निविदा बिड का मूल्यांकन

बिड का मूल्यांकन निम्नानुसार होगा :-

1. तकनीकी बिड, बिड-सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय तक प्राप्त होने वाली समस्त बिड उपापन समिति एवं कम्पनी/एजेन्सी/फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय को खोली जावेगी। उक्त तिथि/समय में परिवर्तन होने पर नवीन तिथि की सूचना प्रदान कर दी जायेगी।
2. तकनीकी बिड खुलने के समय समस्त वित्तीय बोलीदाताओं के लिफाफे बंद रखते हुये एक अन्य लिफाफे में रख कर सील कर दिया जायेगा। इस लिफाफे को वित्तीय बिड के खुलने के समय विभागीय उपापन समिति के सदस्यों एवं सफल कम्पनी/एजेन्सी फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा।
3. तकनीकी बिड खुलने के बाद इनको तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर बोलीदाताओं से उनके द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बिड में प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रपत्र/दस्तावेज पर स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है जिसे बोलीदाताओं को तय समय सीमा में विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाताओं द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय उपापन समिति का होगा। बोलीदाता स्पष्टीकरण के जवाब में कोई भी नवीन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा। ऐसा करने पर नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा।
4. तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात अपूर्ण अथवा तकनीकी अर्हता पूर्ण नहीं करने वाली बिडों को अस्वीकार करते हुए निरस्त घोषित कर दिया जायेगा तथा अन्य सभी बिडों को स्वीकार करते हुए उनकी वित्तीय बिड खोली जायेगी।
5. प्राप्त दरों के आधार पर अधिकतम दर बोलीदाता को कार्यादेश दिया जावेगा बोलीदाता द्वारा कार्यादेश को स्वीकार करने के साथ विभाग में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवाते हुए तत्संबंधित समय पर प्रचलित कानून/नियमों के अनुसार राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्न पेपर पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति तय सीमा में प्रस्तुत करनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

अध्याय-8

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, पैकिंग,मैटेरियल एवं झाडन की रद्दी के निस्तारण हेतु निविदा

निविदा-प्रपत्र (वित्तीय निविदा)

विश्वविद्यालय की वर्ष 2017 एवं पूर्व की में प्रयोग में ली गयी उत्तर पुस्तिकाओं की दर संविदा बावत् वित्तीय निविदा।

1. फर्म का नाम व पूर्ण पता
.....
.....
2. दूरभाष संख्या मोबाईल नं.
3. दरें निम्न प्रकार है :-

विक्रय योग्य सामग्री	दर
(1) प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाएँ	राशि प्रति टन अंको में शब्दों में
(2) टाट के खाली कट्टे	अंको में शब्दों में
(3) कागज की कतरन	अंको में शब्दों में
(4)पुराने समाचार/पत्रिकाएँ	अंको में शब्दों में
(5) पुराने अनुपयोगी प्रश्न पत्र	अंको में शब्दों में
(6)ओएमआर मार्कशीट	अंको में शब्दों में

नोट :- जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं/हम अमानत राशि जब्त करने एवं मेरे । हमारे द्वारा दी गई निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम:-

पता:-

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, पैकिंग,मैटेरियल एवं झाडन की रद्दी के निस्तारण हेतु निविदा

अध्याय-10

निविदा प्रपत्र तकनीकी बिड

1. बोलीदाता पंजीकृत कम्पनी/फर्म/स्वयंसेवी संस्था का नाम..... व पूर्ण पता.....
.....
.....
2. पंजीयन संख्या(कम्पनी/साझेदारी फर्म होने की स्थिति में पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
3. पंजीकृत संस्था द्वारा निविदा भरने वाले प्राधिकृत.....
पदाधिकारी का नाम व पता मय फोन नम्बर.....
एवं आईडी प्रूफ.....
4. निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये..... /- बैंक ड्राफ्ट संख्या.....
.....दिनांकबैंक का नाम.....
5. बोली अमानत राशि रूपये..... /-बैंक ड्राफ्ट संख्या.....
.....दिनांक
6. आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की फोटो प्रति संलग्न है.....
7. बोलीदाता द्वाराअपने लेटर पैड पर निर्धारित प्रारूप (अनेक्सर-2) स्वयं प्रमाणित करेगा कि बोलीदाता/कम्पनी को राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।
8. वेट, पंजीयन एवं चुकता प्रमाणपत्र संलग्न है।लागू नहीं होने की स्थिति में इस आशय काप्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. पात्रता के मानदण्ड में अंकित प्रपत्र अध्याय-3 के अनुसार संलग्न करें।
10. बोलीदाता अपने लैटर पैड पर निर्धारित प्रारूप(अनेक्सर-3) में बाना फाईड डीलर का प्रमाण पत्र संलग्न करेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम:-

पता:-

ई-मेल :-.....

प्रयुक्त उत्तर-पुस्तिकाओं की रद्दी के निस्तारण हेतु निविदा
घोषणा पत्र
(बोलीदाता व्यक्ति/कम्पनी/फर्म एजेन्सी के लेटर पेड पर)

मैं/हम/(कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पता)
.....शपथ पूर्व निम्न घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. निविदा क्रमांकमेरे/हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारियों/दस्तावेज पूर्णतया सही है तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी/हमारी रहेगी।
2. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी कम्पनी/फर्म/एजेन्सी को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम :

पद :

कम्पनी/फर्म/एजेन्सी नाम :

कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का पूर्ण पता

Annexture-3

DECLARATION BY TENDERERS

I/We declare that i am/We are bonafide/manufacturers/whole Sellers/Sole Distributor/Authorised Dealers/sole seling/marketing agent in the goods/stores/equipments for which I/We have tenderd.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/our security may be forfeited in full and tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signautre of the tenderer

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

करार का प्रारूप

1. यह करार आज दिनांकको एक ओर(जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुमोदित क्रेता" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ के अनुकूल हो, उसके वारिस, उत्तरधिकारी निष्पादक तथा प्रशासक सम्मिलित समझे जाएंगे, दूसरी ओर राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलसचिव (जिन्हें इसमें इनके पश्चात् विश्वविद्यालय कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ के अनुकूल हो, उनके उत्तरधिकारी तथा अभिहस्ताकिती सम्मिलित समझे जाएंगे, के बीच सम्पन्न किया गया है।
2. चूंकि अनुमोदित क्रेता राजस्थान राज्य के राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर को उनके मुख्यालय/कार्यालय पर इसके साथ संलग्न निविदा प्रपत्र में उल्लेखित प्रयोग में ली गई उत्तर पुस्तिकाओं तथा प्रतिबंधों में दी गई शर्तों/रीति के अनुसार उल्लेखित दरों से क्रय करने के लिए विश्वविद्यालय के साथ सहमत हो गया है।
3. चूंकि अनुमोदित क्रेता नेकी रकम नकद रसीद संख्या दिनांकडिमाण्ड ड्राफ्ट संख्यादिनांकद्वारा उपयुक्त करार के यथावत पालन करने के लिए प्रतिभूत के रूप में जमा करा दी है।
4. अब यह लेख निम्नांकित का साक्ष्य है :-
 - ✓ राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा कुलसचिव के जरिए इसके साथ संलग्न निविदा प्रपत्र में उल्लेखित दरों से किए जाने वाले संदायों में अनुमोदित क्रेता(फर्म का नाम) संलग्न निविदा प्रपत्र में उल्लेखित प्रयोग में ली गई उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी संबंधी संविदा तथा निविदा की शर्तों एवं प्रतिबंधों में बतलाई गई रीति से यथावत रूप से क्रय करेगा।
 - ✓ निविदा और संविदा की शर्तें जो निविदा सूचनादिनांक के साथ संलग्न थी और इस इकरार के साथ भी संलग्न है, इस करार का अंग समझी जावेगी और इस करार को निष्पादित करने वाले पक्ष इनसे बाध्य होंगे।
 - ✓ राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर एतद् द्वारा यह करार करता है कि यदि अनुमोदित क्रेता उपयुक्त रीति से उक्त शर्तों तथा प्रतिबंधों को मानेगा और उनका पालन करेगा तो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर कुलसचिव के जरिये अनुमोदित क्रेता को उक्त प्रतिबंधों में उल्लेखित रीति से तथा समय पर प्रत्येक सामान के लिए देय रकम का संदाय करेगी या करवायेगी।
 - ✓ इस करार के अन्तर्गत कार्यादेश की तारीख से उत्तरपुस्तिकाएं 10 दिन, के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी उठानी होगी।
 - ✓ यदि निविदा करार में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर माल नहीं उठाता है तो विक्रेता विश्वविद्यालय अपने विवेकानुसार माल उठाने की अवधि निविदाकार

से करारानुसार परि-निर्धारित नुकसानी जो शास्ती नहीं होगी की वसूली के अध्ययाधीन बढ़ा सकेगा। यह वसूली निम्नानुसार होगी :-

1. प्रथम 3 दिवस तक के लिए 2.5 प्रतिशत
2. 4 से 5 दिवस के लिए 5 प्रतिशत
3. 6 से 8 दिवस के लिए 7.5 प्रतिशत
4. 9 से 10 आगामी दिवसों तक 10 प्रतिशत

- ✓ राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर एतद् द्वारा यह करार करता है कि यदि अनुमोदित क्रेता उपर्युक्त रीति से उक्त शर्तों तथा प्रतिबंधों को मानेगा और उनका पालन करेगा तो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर कुलसचिव के जरिए अनुमोदित क्रेता को क्रय किए गए सामान की डिलिवेरी निम्न प्रकार से करेगा :-

“विक्रय की जाने वाली सामग्री की डिलीवरी यथा भरे हुए ट्रक/ट्रकों के सम्पूर्ण माल की अदायगी नगद/ड्राफ्ट आर.टी.जी.एस./एन.ए.टी. के द्वारा कार्यालय में पूर्व जमा कराने पर ही दी जाएगी” क्रेता द्वारा सम्पूर्ण माल की कीमत चुका कर यथा नियमानुसार उठाने के पश्चात् ही उसके लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। जिसमें करार के उपबंध सं. 5 के तहत गणनीय शास्ती अथवा अन्य वसूल योग्य राशि यदि कोई हो, की कटौती की जा सकेगी।

- ✓ इस करार के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार के निर्वचन संबंधी समस्त प्रश्न विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चय किए जाएंगे तथा विश्वविद्यालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

जिसके साक्ष्य में इसके दोनों पक्षों ने दिनांकको अपने हस्ताक्षर किए हैं।

अनुमोदित क्रेता के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय की लिए तथा की ओर से
हस्ताक्षर पदनाम

तारीख

तारीख

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2

साक्षी संख्या 2